फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री प्रकाश जाट
विपक्षी :– श्रीमती सीमा बाई वगैरह
किस्म मुकदमा :– 212 R.T.A.
पत्रावली संख्या :– 32/21 (प्रार्थना पत्र)
GCMS NO : 2021/93

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.07.2024 – पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पूर्व तारीख पेशी पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि मामला सम्पति हक अधिकारो का होकर वादग्रस्त भूमि के बंटवारे का है। मूल वाद के निस्तारण के तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम लदाना पटवार हल्का वासनीकला तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 397 पर दर्ज आराजी नम्बर 117, 118, 125, 126, 128, 129, 130 किता 7 कुल रकबा 3.1403 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश करने अपने हिस्से भूमि को पृथक करवाना चाहता है। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण अपने हिस्से की भूमि अन्य लोगो को विक्रय कर विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करवाने पर आमादा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार कोई भी सहखातेदार बिना विधिक बंटवाड़ा करवाए किसी विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा नही कर सकता है। जब तक बंटवाड़ा नही हो जाता है तब तक सभी सहखातेदारो का प्रत्येक इंच पर बराबर हक हिस्सा निहित होता है। मौके पर यदि विपक्षीगण किसी विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर कब्जा करने पर आमादा है तो ऐसे में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार मौके पर विवाद अधिक बढने की संभावना प्रतित होती है। ऐसे में उभय पक्षो को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। उपयुक्त विवेचन कि आधार पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:51:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आशिंक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आशिंक स्वीकार किया जाकर उभय पक्षो को मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम लदाना पटवार हल्का वासनीकला तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 397 पर दर्ज आराजी नम्बर 117, 118, 125, 126, 128, 129, 130 किता 7 कुल रकबा 3.1403 हैक्टर भूमि की रिर्कोड तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:51:03 IST
Reason: SelfAttested